162

संख्या– /XVIII(II)/2016–18(41)/2016

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 01 सितम्बर, 2016

विषयः– जनपद अल्मोड़ा बैडमिन्टन कोर्ट निर्माण हेतु खेल विभाग को 1.202 है0 भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के पत्र संख्या–1639/पांच–भू0ह0रा0प0–016 दि0–22.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल ग्राम एवं पटवारी क्षेत्र देवली, तहसील एवं जनपद अल्मोड़ा के गैर ज0वि0ख0खा0 सं0–80 की श्रेणी–10(2) अकृषक भूमि के खेत सं0–945 मध्ये 0.221 है0, 947 मध्ये 0.041 है0 गैर ज0वि0 ख0 खा0 सं0–62 की श्रेणी–9(3)ग स्थायी पशुचर/गौचर के खेत सं0–946 की 0.139 है0 948 की 0.602 है0, 959 की 0.070 है0, 1022 की 0.129 है0, इस प्रकार कुल 1.202 है0 प्रस्तावित की गयी है। ग्राम देवली में स्थाई पशुचर की भूमि का कुल क्षेत्रफल 45.602 है0 है। जिसमें से 0.940 है0 भूमि के चयनित किया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु चयनित की गयी गौचर की भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात् उक्त ग्राम में कुल 44.662 है0 गौचर की भूमि अवशेष रहेगी। जो कि कुल भूमि का 5 प्रतिशत से अधिक है, को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दि0–15.02.2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/–

nishulk

8– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या–1583/XVIII(II)/2016–18(41)/2016 समदिनांकित

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

nishulk